उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 210वीं बैठक
दिनांक 24 सितम्बर, 2009 का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

1	श्रीयुत हरमिन्दर राज सिंह	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	श्री दीपक कुमार	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
3	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
4.	श्री राम सहाय	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	श्री एन0आर0वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उ0प्र0	सदस्य
6	श्री यू0 के0 गुप्ता	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
7	श्री एस0 एन0 राम	मुख्य अभियंता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
8	श्री सी0पी0शर्मा	मुख्य वास्तुविद एवं नियोजक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

मद सं0	विषय	निर्णय
210/1	परिषद की 209वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।
210/2	परिषद की 209वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2009 की अनुपालन आख्या।	अवलोकित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

210/3	सिकन्दरा गृहस्थान एवं सड़क योजना आगरा में समाविष्ट मौजा ककरेठा के खसरा संख्या–720 की 02 बीघा भूमि के आवंटन के संबंध में।	सहकारी आवास समिति का Layout स्वीकृत है या नही। समिति को भूमि कब दी गयी हैं। परिषद की दो बीघा भूमि की Viability निकाल ली जाय। सभी विवरणों के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
210/4	जनपद गोण्डा में गोण्डा–फैजाबाद मार्ग पर जिला सहकारी विकास संघ लि0 गोण्डा की भूमि पर आवासीय योजना संचालित किए जाने के संबंध में।	पुनः परीक्षण करा लिया जाय। Joint Venture पर भी विचार किया जा सकता है। समस्त विवरणों के साथ आगामी बैठक में रखा जाय।
210/5	सिकन्दरा गृह स्थान एवं सड़क योजना आगरा में समाविष्ट ग्राम ककरेठा खसरा संख्या–950 की 773 वर्ग गज भूमि के संबंध में।	स्थगित किया गया।

210/6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा गृह स्थान एवं सड़क योजना आगरा में समाविष्ट ग्राम ककरेठा के खसरा संख्या–771, 774 तथा 776 की कुल 6–14–15 बीघा भूमि के संबंध में।	शासन द्वारा समान छः प्रकरणों में लिये गये निर्णय के आलोक में महाधिवक्ता से पुनः अनुरोध करने हेतु शासन को संदर्भित किया जाय।
211/7	देहली रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–1, हरिद्वार के ग्राम अहमदपुर कडच्छ के खसरा संख्या–656 क्षे0–112.77 वर्गमीटर भूमि के संबंध में।	वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

210/8	परिषद की आम्रपाली गृहस्थान एवं भूमि विकास (प्रथम विस्तार) हरदोई रोड योजना, लखनऊ हेतु भूमि का अधिग्रहण शासन द्वारा निरस्त किए जाने के फलस्वरूप प्रकरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	अवलोकित किया गया।
210/9	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में खसरा संख्या–419 ग्राम समीउद्दीनपुर स्थित रकबा 3200 वर्गफुट भूमि को विकास शुल्क समानता के आधार पर करने के संबंध में।	विकास शुल्क लेकर समायोजन का निर्णय लिया गया।
210/10	परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत आसुधार शुल्क/विकास शुल्क के निर्धारण के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
210/11	परिषद की 207वीं बैठक दिनांक 19.1.09 के मद संख्या–207/3 पर लिए गए निर्णय की आख्या प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।	आवास आयुक्त लिपिकीय त्रृटि करने वालो के सम्बन्ध में कार्यवाही करके आगामी बैठक में रखें।
210/12	परिषद की कुर्सी रोड योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बटहा सबौली के खसरा संख्या–230 की 0–2–0 बीघा भूमि के संबंध में।	विकास शुल्क लेकर समायोजन करने का निर्णय लिया गया।
210/13	परिषद की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना गाजियाबाद में समाविष्ट श्री रामा कृष्णा सहकारी आवास समिति लिमिटेड की भूमि को समायोजित किए जाने विषयक उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1192/आठ–2–2008–14–आ0स0/2005 दिनांक 7.10.2008 के संबंध में।	सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन से सम्बन्धित शासनादेश 1986 तथा 2002 में से किस शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाय के सम्बन्ध में शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाय।
210/14	मंसूरी गुलावटी मार्ग हसनपुर लौढ़ा भूमि विकास एवं ग्रहस्थान योजना संख्या–2 गाजियाबाद की धारा–28 हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

210/15	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाने के संबंध में।	विचार विमर्श के पश्चात प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने हेतु निम्न निर्णय लिये गये :— 1.आवास आयुक्त 5 करोड़ तक। 2. मा0 अध्यक्ष 20 करोड़ तक। 3. 20 करोड़ से ऊपर निम्न समिति द्वारा किया जायेगा। अ. परिषद के माननीय अध्यक्ष ब. आवास आयुक्त स. आवास विभाग के नामित प्रतिनिधि। द. वित्त विभाग के नामित प्रतिनिधि।
210/16	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की लखनऊ, कानपुर, फतेहगढ़, आगरा एवं मुरादाबाद स्थित योजनाओं में स्वयं वित्त पोषित योजना—2009(प्रथमचरण) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के फिनिश्ड एवं सेमीफिनिश्ड भवनों के खोले गये पंजीकरण एवं उसके विरूद्ध प्राप्त पंजीकरणों के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले भवनों से संबंधित प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
210/17	वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर—6 एवं 16 में स्ववित्त पोषित बहुमंजिले आवासीय भवनों की परियोजना के प्रस्ताव के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
210/18	शासकीय निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में पंजीकरण नियमावली में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, का विवरण प्रस्तुत किया जाय।
210/19	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना संख्या—1, लखनऊ वृन्दावन योजना संख्या—4,लखनऊ, योजना संख्या—2 कानपुर, मझोला योजना संख्या—4 (भाग—2), मुरादाबाद में तीन मंजिले (जी+2), दिल्ली बुलंदशहर योजना बाईपास गाजियाबाद में चार मंजिले (जी+3) दुर्बल आय वर्ग भवनो के पंजीकरण के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

लेखा अनुभाग

210/20	निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा उप समिति की बैठक दि0 29.07.09 का कार्यवृत्त।	अवलोकित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

210/21	निष्प्रयोज्य हुए 08नग वाहनो के विरूद्ध नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
210/22	परिषद द्वारा आई0एस0ओ0–9001:2008 के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के संबंध में।	अवलोकित किया गया।
210/23	कार्यप्रभारित कर्मचारियो के परिषद द्वारा स्वीकृत 1560 पदों के विरूद्ध अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने तथा रिक्त पदों पर मस्टररोल श्रमिको की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	अवलोकित किया गया। आवास आयुक्त अपने स्तर से कार्यवाही करें।
210/24	परिषद कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। चिकित्सा अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1209/पांच–6–2004–294/96 टी.सी. दिनांक 09 अगस्त 2004 को अंगीकृत किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

210/25	विश्व में आई आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने के सम्बन्ध में।	नोयडा,ग्रेटर नोयडा तथा अन्य प्राधिकरणों में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कर प्रस्ताव पुनः समस्त विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रशासन अनुभाग

210/26	सहायक आवास आयुक्त (वेतनमान रू0 8000–275– 13500) के 01 पद को उप आवास आयुक्त (वेतनमान रू0 10,000–325–15,200) के पदो में उच्चीकृत किए जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित। शासन को अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजा जाये।

लेखा अनुभाग

210/27	वित्तीय वर्ष 2008–09 की बैलेन्स सीट/वार्षिक लेखो के अनुमोदन के सम्बंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। वसूली के लक्ष्य पूर्ण करने के लिए कठोर निर्देश जारी किये जाये और आगामी बोर्ड बैठक में अनुपालन प्रस्तुत किया जाये।

भूमि अर्जन अनुभाग

210/28	भूमि विवाद समाधान समिति की 22वी बैठक दिनांक 12.12.06 की संस्तुतिओ को अवलोकित किए जाने के सम्बन्ध में।	गत बैठक में मांगी गयी सूचना का अवलोकन किया गया। भूमि विवाद समाधान समिति के निर्णय से प्राप्त होने वाले भौतिक एवं वित्तीय प्रभाव के बारे में विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
210/29	परिषद के राजेन्द्र नगर योजना संख्या–2 बरेली के अन्तर्गत खसरा संख्या– 138 के क्षेत्रफल–824.53 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
210/30	मार्टिन पुरवा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ के सम्बन्ध में।	प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

210/31	आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–5136/8–3–2008–11/विविध/08 दिनांक 25.09.08 के अनुपालन में षष्टम वृत्त आगरा के अधीन योजनाओ में निर्मित, विकसित व नये/अविकसित क्षेत्रो के चिन्हीकरण पश्चात कय योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

210/32	परिवर्तन शुल्क की दर निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
210/33	फ्रीहोल्ड सम्पत्तियो पर लेवी (अनिर्माण शुल्क) वसूल किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
210/34	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद तथा प्राधिकरणो की सम्पत्तियो की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाईड लाइन्स) के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

210/35	लिपिकीय/आशुलिपिक संवर्ग का वेतनमान दिनांक 1.1.1986 से संशोधित होने के फलस्रूप दिनांक 1.1.86 से दिनांक 28.11.05 तक की अवधि के एरियर के भुगतान के संबंध में।	शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
210/36	योजना संख्या–7, मेरठ में समाविष्ट खसरा संख्या 3947 से 3951 तक की भूमि रकबा 10–16–0 बीघा भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
210/37	माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	परिषद द्वारा निजी विकासकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए PPP/ Joint Venture मार्डल समयबद्ध रूप से तैयार करके नीतिगत निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाय। शासन द्वारा दस हजार करोड़ की लक्ष्य आवास विभाग के लिए निर्धारित किया है। श्री एन0आर0वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उ0प्र0, श्री एस0एन0राम, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, श्री यू0के0 गुप्ता, वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा श्री संजीव कश्यप, प्रभारी वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की एक समिति बनायी जाती है जो इस पर विचार करके अपनी संस्तुति आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी। समिति की संस्तुतियों को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

(मिश्री लाल पासवान)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(दीपक कुमार)
आवास आयुक्त

अनुमोदित

(हरमिन्दर राज सिंह)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी.
अध्यक्ष